उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग-2

फाइल नं0- 96-2099/1700/2019

लखनऊः दिनांक 26 अक्टूबर, 2021

शुद्धि-पत्र

आयुष मिशन के अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्य योजना के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी शासन के पत्र संख्या-23/2021/आ0मि0-175/96-आयुष-2-2021-53/2018, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के पृष्ठांकन के क्रमांक-5 में त्रुटिवश वित्त नियंत्रण, होम्योपैथ निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ अंकित हो गया है, जिसे अब वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ पढ़ा व समझा जाय। शेष शासनादेश एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित हुआ समझा व पढ़ा जाय।

भवदीय,

Signed by लक्ष्मण सिंह
Date: 26-10-2021 17:28:54
Reason: Approved
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जी0पी0ओ0 काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
3. मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रण, आयुर्वेद निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त (वित्त नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।